बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ०सं०–09 / न०वि०मा०प्ला०(AMRUT)–10 / 2024 6754 पटना, दिनांक– 02.07.26

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत तीन आयोजना क्षेत्रों यथा–लखीसराय, जमुई एवं भभुआ का GIS Based Master Plan तैयार करने हेतु एजेंसी M/s Design Point Consult Pvt. Ltd., Gujarat के साथ दिनांक–15.03.2024 को अनुबंध किया गया तथा एकरारनामा के अनुसार उक्त वर्णित क्षेत्रों का मास्टर प्लान अनुबंध की तिथि से 340 दिनों (ड्रॉफ्ट मास्टर प्लान) के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाना था, किन्तु उक्त एजेन्सी द्वारा अनुबंध के अन्तर्गत निर्धारित समय–सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य निष्पादित नहीं किया गया है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–6136 दिनांक–05.06.2026 द्वारा एजेंसी M/s Design Point Consult Pvt. Ltd., Gujarat से मास्टर प्लान के कार्य में विलंब, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, कार्य में निरंतर लापरवाही बरतने के लिए तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके फलस्वरूप M/s Design Point Consult Pvt. Ltd., Gujarat के पत्रांक–DPC/Bihar/SCN-Reply/6136/2026/205, दिनांक–06.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमे मानव बल प्रतिनियुक्ति के संबंध में, कार्यों में देरी का कारण, कालीसूची में डालने पर कानूनी आपत्ति, एजेंसी की पिछली उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है। एजेंसी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य तथ्यों से इत्तर जानकारी अंकित की गयी है तथा विभाग को दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया है।

3. M/s Design Point Consult Pvt. Ltd., Gujarat के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि भभुआ, जमुई एवं लखीसराय में मास्टर प्लान का द्वितीय चरण से संबंधित कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है एवं भभुआ में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जबकि एकरारनामा के अनुसार 340 दिनों (ड्रॉफ्ट मास्टर प्लान) के अन्दर सभी चरण का कार्य पूर्ण किया जाना था। साथ ही अभी तक संबंधित आयोजना क्षेत्र यथा–लखीसराय, जमुई एवं भभुआ में मानव बल भी तैनात नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि मास्टर प्लान के कार्य में विलंब, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, कार्य में निरंतर लापरवाही एजेंसी द्वारा बरती गयी है। इस प्रकार एजेंसी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

4. अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में M/s Design Point Consult Pvt. Ltd., Gujarat को विभाग की आगामी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए काली सूची में डाली जाती है। यदि 10 दिनों के अन्दर संबंधित आयोजना क्षेत्र यथा–लखीसराय, जमुई एवं भभुआ में एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किये जाते है तो इनके एकरारनामा विखंडित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(प्रभात भूषण)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–09 / न०वि०मा०प्ला०(AMRUT)–10 / 2024.......6754.... न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक– 02/07/26

प्रतिलिपि–M/s Design Point Consult Pvt. Ltd., Gujarat, Email:mail@dpcplanning.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–Master Plan Review Team, TCPO, UD&HD, Email: masterplanreview2025@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार यथा, मुंगेर एवं पटना / जिला पदाधिकारी–सह–उपाध्यक्ष, जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, लखीसराय, जमुई एवं कैमूर / नगर कार्यपालक पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लखीसराय, जमुई एवं भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम, बिहार / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय सभी विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.07.26

विशेष कार्य पदाधिकारी।